प्रेषक,

जिलाधिकारी
जालौन स्थान उरई ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ

संख्याः 1756/खनिज–एमएमसी–30 दिनांकः 27 सितम्बर 2024

विषयः– जनपद जालौन में अवैध रूप से भण्डारित बालू/मौरम को ई–निविदा (ई–टेण्डर) के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन जनपद जालौन में अवैध रूप से भण्डारित बालू/मौरम को ई–निविदा (ई–टेण्डर) के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति विज्ञप्ति संख्या–1755/खनिज– एम0एम0सी0–30 दिनांक 27.09.2024 निर्गत की गयी है, जिसका प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कराया जाना है।

अतः उपरोक्त विज्ञप्ति संख्या–1755/खनिज– एम0एम0सी0–30 दिनांक 27.09.2024 इस पत्र के साथ दो प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आंमत्रण सूचना को व्यापक प्रचार–प्रसार वाले कम से कम 02 राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,जालौन।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं0 1755/खनिज–एमएमसी–30 दिनांकः 27 सितम्बर 2024

प्रेस विज्ञप्ति

निविदा आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन के अन्तर्गत बालू/मौरम के अवैध भण्डारण पाये गये है, जिसे शासनादेश सं0 2595/86–2018–12(सामा)/2018 दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशों के इतर निस्तारण हेतु राजस्वहित में निम्न विवरण के अनुसार अल्प अवधि के लिये ई–निविदा दिनांक 11.10.2024.को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 17.10.2024 को अपरान्ह 05.00 बजे तक (पांच कार्य दिवस में) **"etenders.up.nic.in"** पर आंमत्रित की जाती हैः–

भण्डारित बालू/मौरम का विवरण

कम सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	खनिज का नाम	कुल भण्डारित खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)	नियमावली 2021 के अनुसूची–1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	भण्डारित खनिज का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 में)	अर्नेष्ट मनी (कालम–6 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत (रू0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तहसील उरई के ग्राम मोहाना स्थित महाकाल ढ़ाबा के पास	बालू/मौरम	92	150/–	13800/–	3450/–	10 दिन
2	तहसील उरई के ग्राम किशोरा के गाटा सं0 50/1 में	बालू/मौरम	810	150/–	121500/–	30375/–	30 दिन
3	तहसील उरई के ग्राम किशोरा में गाटा सं0 91 रकवा 1.214 हे0 में	बालू/मौरम	7223	150/–	1083450/–	270863/–	90 दिन
4	तहसील उरई के ग्राम सिकरीव्यास खण्ड सं0–4 के कैम्प कार्यालय स्थित तौल मशीन के पास	बालू/मौरम	631	150/–	94650/–	23663/–	30 दिन
5	तहसील उरई में मण्डी समिति उरई में पुरानी फल मण्डी उरई में	बालू/मौरम	420	150/–	63000/–	15750/–	20 दिन
6	थाना कदौरा मण्डी समिति के अन्दर	बालू/मौरम	920	150/–	138000/–	34500/–	30 दिन
7	ग्राम परासन में श्री पारासर जूनियर हाईस्कूल परासन प्रागंण में दो ढ़ेरो में	बालू/मौरम	280	150/–	42000/–	10500/–	15 दिन
8	मु0 टरननगंज कालपी (भण्डारणकर्ता श्री शुमशुल हसन) में भण्डारण	बालू/मौरम	205	150/–	30750/–	7688/–	15 दिन
9	मु0 टरननगंज कालपी में (भण्डारणकर्ता श्री अंशुल का डम्प)	बालू/मौरम	64	150/–	9600/–	2400/–	07 दिन
10	तहसील जालौन के अन्तर्गत ग्राम लौना में सेगंर अफक्स (डस्ट से ईट बनाने का कारखाना) के सामने 92मी0	बालू/मौरम	92	150/–	13800/–	3450/–	10 दिन
11	तहसील जालौन ग्राम लौना में लौना रोड के निकट फर्म महावीर बाल हनुमान ट्रेडर्स/श्री मुलू प्रजापति पुत्र बिहारी के प्लाट के ठीक पीछे	बालू/मौरम	170	150/–	25500/–	6375/–	15 दिन
12	तहसील उरई के ग्राम मोहाना के गाटा सं0 73, 75 में दो ढ़ेर कमशः 140 घनमी0 व 324 घनमी0	बालू/मौरम	464	150/–	69600/–	17400/–	25 दिन

1. ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले ई–निविदादाताओं को ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त अभिलेख की प्रति एंव डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति खनिज कार्यालय, जालौन स्थान उरई में **दिनांक 18.10.2024 समय 05:00 बजे तक जमा करना** अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2— ई—निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त ई—निविदा को दिनांक 19.10.2024 को अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागर उरई में उपस्थित ई—निविदादाताओं की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा खोली जायेगी।

3— आवश्यक अभिलेख एंव अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय जालौन स्थान उरई से प्राप्त की जा सकती है।

(क) ई—निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप—II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई—निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगें

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई—निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिज़िटल सिग्नेचर प्राप्त करगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

4— निविदादातो द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप—2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :—

प्रारुप—2 की सूचनायें :—

क— विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा भण्डारण क्षेत्र विज्ञाप्ति किया गया है।
ख— विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
ग— निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई—मेल एवं मो0नं0।
घ— उस भण्डारण क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये ई—निविदा प्रस्तुत की गयी है।
ङ— अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0—2000/— का चालान संख्या व दिनांक।
च— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
छ— पैनकार्ड का क्रमांक।
ज— चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
झ— कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :—

क— ई—निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0—2,000/— का अप्रतिदेय (Non Refundable)आवेदन शुल्क का चालान।
ख— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
ग— पैन कार्ड।
घ— जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।

जिलाधिकारी
जालौन

प्रतिलिपि—1— निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद—जालौन में सर्वाधिक प्रचार—प्रसार वाले समाचार पत्रों में से किसी 02 समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने हेतु।

2— जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना/विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक समचार पत्रों में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी
जालौन

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं0 1755/खनिज–एमएमसी–30 दिनांकः 27 सितम्बर 2024

निविदा आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन के अन्तर्गत बालू/मौरम के अवैध भण्डारण पाये गये है, जिसे शासनादेश सं0 2595/86–2018–12(सामा)/2018 दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशों के इतर निस्तारण हेतु राजस्वहित में निम्न विवरण के अनुसार अल्प अवधि के लिये ई–निविदा दिनांक 11.10.2024.को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 17.10.2024 को अपरान्ह 05.00 बजे तक (पांच कार्य दिवस में) **"etenders.up.nic.in"** पर आंमत्रित की जाती है:–

भण्डारित बालू/मौरम का विवरण

कम सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	खनिज का नाम	कुल भण्डारित खनिज की मात्रा (घ0मी0 में)	नियमावली 2021 के अनुसूची–1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	भण्डारित खनिज का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 में)	अर्नेष्ट मनी (कालम–6 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत (रू0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तहसील उरई के ग्राम मोहाना स्थित महाकाल ढ़ाबा के पास	बालू/मौरम	92	150/–	13800/–	3450/–	10 दिन
2	तहसील उरई के ग्राम किशोरा के गाटा सं0 50/1 में	बालू/मौरम	810	150/–	121500/–	30375/–	30 दिन
3	तहसील उरई के ग्राम किशोरा में गाटा सं0 91 रकवा 1.214 हे0 में	बालू/मौरम	7223	150/–	1083450/–	270863/–	90 दिन
4	तहसील उरई के ग्राम सिकरीव्यास खण्ड सं0–4 के कैम्प कार्यालय स्थित तौल मशीन के पास	बालू/मौरम	631	150/–	94650/–	23663/–	30 दिन
5	तहसील उरई में मण्डी समिति उरई में पुरानी फल मण्डी उरई में	बालू/मौरम	420	150/–	63000/–	15750/–	20 दिन
6	थाना कदौरा मण्डी समिति के अन्दर	बालू/मौरम	920	150/–	138000/–	34500/–	30 दिन
7	ग्राम परासन में श्री पारासर जूनियर हाईस्कूल परासन प्रागंण में दो ढ़ेरो में	बालू/मौरम	280	150/–	42000/–	10500/–	15 दिन
8	मु0 टरननगंज कालपी (भण्डारणकर्ता श्री शुमशुल हसन) में भण्डारण	बालू/मौरम	205	150/–	30750/–	7688/–	15 दिन
9	मु0 टरननगंज कालपी में (भण्डारणकर्ता श्री अंशुल का डम्प)	बालू/मौरम	64	150/–	9600/–	2400/–	07 दिन
10	तहसील जालौन के अन्तर्गत ग्राम लौना में सेगंर अफक्स (डस्ट से ईट बनाने का कारखाना) के सामने 92मी0	बालू/मौरम	92	150/–	13800/–	3450/–	10 दिन
11	तहसील जालौन ग्राम लौना में लौना रोड के निकट फर्म महावीर बाल हनुमान ट्रेडर्स/श्री मुलू प्रजापति पुत्र बिहारी के प्लाट के ठीक पीछे	बालू/मौरम	170	150/–	25500/–	6375/–	15 दिन
12	तहसील उरई के ग्राम मोहाना के गाटा सं0 73, 75 में दो ढ़ेर कमशः 140 घनमी0 व 324 घनमी0	बालू/मौरम	464	150/–	69600/–	17400/–	25 दिन

शर्तेः–

2–ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले ई–निविदादाताओं को ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त अभिलेख की प्रति एंव डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति खनिज कार्यालय, जालौन स्थान उरई में **दिनांक 18.10. 2024 समय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।**

3– आवश्यक अभिलेख एंव अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय जालौन स्थान उरई से प्राप्त की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रेक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगें

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

4– निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारुप–2 की सूचनायें :–

क– विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा भण्डारण क्षेत्र विज्ञाप्ति किया गया है।
ख– विज्ञप्ति में क्षेत्र काक्रमांक
ग– निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0।
घ– उस भण्डारण क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये ई–निविदा प्रस्तुत की गयी है।
ड़– अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0–2000/– का चालान संख्या व दिनांक।
च– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र काक्रमांक।
छ– पैनकार्ड काक्रमांक।
ज– चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
झ– कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क– ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0–2,000/– का अप्रतिदेय (Non Refundable)आवेदन शुल्क का चालान।
ख– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
ग– पैन कार्ड।
घ– जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।
ड़– सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

5– विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 19.10.2024 को समय 12:30 अपरान्ह** में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

6– निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति /फर्म /कम्पनी भाग नही ले सकते है:–

क. जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।
ख. जिसके बिरूद्ध खनिज देय बकाया है ।
ग. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
घ. जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
ड़. फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड प्रस्तुत न किया हो।

7– सर्वोच्च/सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेष्ट मनी को वापस कर दी जायेगी ।

8– बालू/मौरम भण्डारण के सर्वोच्च/सफल ई–निविदादाता द्वारा निविदा में दी गयी सर्वोच्च धनराशि में से अग्रिम के रूप में 25 प्रतिशत जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि स्वीकृत आदेश मिलने के दो कार्य दिवसो के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा ।

9– सर्वोच्च/सफल ई–निविदादाता, यदि स्वीकृत आदेश में इंगित धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल होता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेष्ट मनी की धनराशि को जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

10— निविदादाता द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर एंव शुल्क यथा सम्पूर्ण रायल्टी का 2.04 प्रतिशत आयकर (टी0सी0एस0) सम्पूर्ण रायल्टी के सापेक्ष नियमानुसार देय डी0एम0एफ0 की धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा ।

11— भण्डारित खनिज बालू/मौरम को निविदा प्रणाली के माध्यम से निर्धारित अवधि में हटाने के लिये स्वीकृत किया जायेगा। निविदा स्वीकृति की अवधि अथवा खनिज की मात्रा हटा लिये जाने तक, जो भी पहले समाप्त हो, तक के लिये वैध मानी जायेगी।

12— भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी कार्यालय द्वारा निर्गत परिवहन प्रपत्र के आधार पर किया जायेगा।

13— भण्डारण के निस्तारण हेतु निविदा के माध्यम से प्राप्त अनुमति आड़ में यदि किसी अन्य स्थल से बालू/मौरम का खनन किया जाना पाया जाता है, तब यह अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

अन्य शर्तेः—

1— ई—निविदा से भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के संबंध में मौके का निरीक्षण बिडर स्वंय आश्वस्त हो लें। निविदा में भाग लेने के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

2— ई—निविदादाता द्वारा मौरम के परिवहन हेतु प्रत्येक खनिज वाहन को वैध परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा । उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार शास्ति का भी भागी होगा ।

3— ई—निविदादाता ऐसी रीति से खनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सड़क,सार्वजनिक मार्ग,भवन, भू—ग्रहादि, सार्वजनिक भू—स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बाधा न पड़े, न उसे क्षति पहुँचें।

4— निविदादाता परिवहन किये गये खनिज का लेखा—जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

5— ई—निविदादाता को समय—समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिये जायेगें, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6— ई—निविदा बिना सूचना/कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

7— मान0 न्यायालयो द्वारा पारित आदेशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,जालौन

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3— निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5— अपर जिलाधिकारी(वि—रा)/जालौन स्थान उरई।
6— उपजिलाधिकारी, उरई।
7— उपजिलाधिकारी, कालपी।
8— समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद जालौन को सूचना पट पर लगाये जाने हेतु।
9— खान अधिकारी, जालौन।
10— जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को उक्त सूचना/विज्ञप्ति दैनिक समचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।
11— नाजिर सदर कलैक्ट्रेट उरई को नोटिस बार्ड पर चश्पा कराये जाने हेतु।

जिलाधिकारी
जालौन

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–2

क–	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा भण्डारण क्षेत्र विज्ञप्ति किया गया है।	
ख–	विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक	
ग–	निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल व मो0नं0	
घ–	उस भण्डारण क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये ई–निविदा प्रस्तुत की गयी है	
ङ	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/– का चालान संख्या व दिनांक	
च–	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक	
छ–	पैन कार्ड का कमांक	
ज–	चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो	
झ–	कम्पनी की दशा मे कम्पनी का DIN संख्या	

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by GOPAL KRISHNA DUTTA
Date: 2024.10.05 13:14:02 IST
Location: Uttar Pradesh-UP